मानवाधिकार और पुलिस भुमिका का अध्ययन

चेतन सराठे
शोधार्थी
विक्रम विष्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

सार : मानव अधिकारों की प्राप्ति कई कारकों पर निर्भर करती है। विभिन्न बातों के अलावा, राज्य के न्याय प्रशासन अधिकारियों (विशेषकर पुलिस) की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश में कानून और व्यवस्था को लागू करने में पुलिस के पास बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं। शक्तियों और कार्यों के साथ, उनके पास अपने कृत्यों के माध्यम से राज्य और जनता के प्रति जवाबदेह कई जिम्मेदारियां हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनकी प्राप्ति भी पुलिस के व्यवहार पैटर्न पर निर्भर करती है। एक कानून लागू करने वाली एजेंसी के रूप में उनका रवैया, नैतिक, नैतिक आचरण मानव अधिकारों के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण एजेंसी होने के नाते, यह पत्र मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार में पुलिस की शक्तियों को उजागर करने का एक मामूली प्रयास है।

शब्द कुंजी : मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, मॉडल पुलिस नियमावली।

परिचय : कानून का मूल उद्देश्य एक संघर्ष मुक्त समाज की स्थापना करना और पुरुषों को शांति और सद्भाव से रहने के लिए प्रशिक्षित करना है ताकि वे आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें। यह बदले में प्रत्येक समाज को समान स्तर पर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने में मदद करेगा और पुरुषों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में उनके प्राकृतिक या मानवाधिकारों की गारंटी देने में मदद करने में सक्षम होगा। संघर्ष मुक्त समाज की स्थापना के लिए, किसी भी प्रकार के शासन में, कानून लागू करने वाली एजेंसियां, विशेष रूप से पुलिस संस्थान, संविधान, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका द्वारा परिकल्पित कानून और व्यवस्था के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, उन्हें प्रदत्त शक्तियों का अत्यधिक उपयोग, या किसी कानून की गलत व्याख्या मानव अधिकारों के उल्लंघन के समान होगी और बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों के मुक्त प्रयोग को रोकती है। किसी भी देश में, कानून लागू करने वाली एजेंसियां कानूनी नियमों और विनियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी प्रकार की राजनीति में नागरिकों को अपने अधिकारों और साथ ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने का सीमित अधिकार होता है। राज्य का संरक्षक होने के नाते, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और साथ ही शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य पर डाली जाती है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने मुख्य रूप से पुलिस ने नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाने और अपराध की रोकथाम को खत्म करने के लिए यह कमजोर काम सौंपा है। राज्य की एक एजेंसी होने के नाते, पुलिस अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को गारंटीकृत मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस पत्र में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी साधनों के माध्यम से मानवाधिकारों, पुलिस की शक्तियों, मानवाधिकारों और पुलिस के बीच संबंधों की अवधारणा का अध्ययन करने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है।

मानव अधिकारों की अवधारणा : मानव अधिकार अविभाज्य प्राकृतिक अधिकार होने के कारण, उन्हें कई कानूनी साधनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रारंभ में मानव अधिकारों का मूल दर्शन मानव व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा की रक्षा करना और कानून के सिद्धांतों से विचलित हुए बिना उनके जीवन और न्याय करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा

देना है। हालांकि, बाद के दशकों में, विशेष रूप से साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक की शुरुआत में मानव जाति सिद्धांत की साझा विरासत ने राज्यों और अन्य कानूनी संस्थाओं को कवर करने के लिए मानव अधिकारों के न्यायशास्त्रीय विस्तारों के दायरे का विस्तार किया है। मानव अधिकारों के विस्तारवादी दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकारों को सभी के लिए मानव अधिकार और सभी के लिए मानव अधिकारों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मानवाधिकारों की यह परिभाषा सभी व्यक्तियों को शामिल करती है, जिसमें कानूनी व्यक्ति भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय हैं और नगरपालिका कानून में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए विभिन्न समझौतों में प्रवेश करते हैं, वे अपने नागरिकों और सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता और सहायता के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को लागू करेगा, जो उचित देखभाल और सावधानी के साथ अपनी शक्तियों के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पुलिस की शक्तियां : किसी भी समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य संघर्षों की तीव्रता को कम करना और समाज के प्रगतिशील विकास के लिए पुरुषों को तैयार करना है। इसलिए, कानूनी हुक्म के कार्यान्वयन, राज्य आम तौर पर पुलिस को शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए कानून और व्यवस्था लागू करने का अधिकार देता है। बदले में इसका मतलब है, कानून लागू करने वाले अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस के पास भारी शक्तियाँ और कर्तव्य भी हैं। राज्यों के अधिकारियों के रूप में, पुलिस को समाज में अपराध को रोकने के लिए अपने अधिकारों को लागू करना होगा। यह पुलिस का मुख्य कार्य होने के कारण, राज्य का कानून पुलिस को कानूनी रूप से कानूनी तौर पर उपायों, विधियों और साधनों को लागू करने का अधिकार देता है, ताकि आपराधिक अपराधों को रोका जा सके या उन अपराधों के अपराधियों का पता लगाया जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। पुलिस की विभिन्न कानून लागू करने वाली एजेंसियां बड़ी संख्या में शक्तियों के साथ सशक्त हैं। वे आम तौर पर, चेतावनी, आदेश, पहचान, जांच, सम्मन, गिरफ्तारी, हिरासत, न्यायपालिका के आदेश के अनुसार एक निश्चित क्षेत्र या इमारत में प्रतिबंध की आवाजाही, व्यक्तियों के निजी स्थानों पर छापे, तलाशी और जब्ती, साक्ष्य का संग्रह, आपदा प्रबंधन कर्तव्यों, खुफिया और सुरक्षा, यातायात कर्तव्यों, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी के रिकॉर्ड का रखरखाव, सामाजिक कानून का प्रवर्तन, सबूत निकालने के लिए वैज्ञानिक और अन्य तरीकों का उपयोग करना आदि। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस के पास हर समय केवल बल के न्यूनतम उपयोग को लागू करके व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कई दायित्व हैं। ऐसा करके और मानवाधिकारों को सम्मान देकर, वे न केवल कानूनी व्यवस्था को सीधे तरीके से लागू करते हैं बल्कि कानून की उचित प्रक्रिया को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

संवैधानिक सुरक्षा और संरक्षक के रूप में न्यायालय : संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है।

वादीष्वरन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि ''देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार है। चाहे वह कैदी या बंदी क्यों न हो। मूलभूत अधिकरो को दीवारों से बाहर नहीं किया जा सकता।'' ठीक ऐसे ही विचार सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन तथा चार्ल्स शोभराज बनाम अधीक्षक, सेन्ट्रल जेल तिहाड के मामलों में अभिव्यक्ति किये गये है। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय में कहा है कि ''हमारी जेलें कानून के पत्थरों से बनी है। इनमें कैद व्यक्ति भी मानव है पशु नहीं। वनों भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।''

जोगिन्दर कुमार बनाम स्टेट के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा रि यह मत व्यक्त किया गया है– ''किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आज एक आम बात हो गई है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिये कि गिरफ्तार करने की शक्ति होना एक बात है और ऐसी शक्ति का न्यायोचित प्रयोग दूसरी बात है। पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को इसलिये गिरफ्तार नहीं करना चाहिए कि उसे गिरफ्तार करने का आधार है, अपितु उसे गिरफ्तारी के औचित्य पर भी विचार करना चाहिये।'' डी. के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व्यक्ति के साथ किये गये अमानवीय व्यवहार एवं यातना की उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अन्वेषण एवं जांच के दौरान पुलिस को क्रुर अमानवीय एवं निम्न स्तर का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में पीडित व्यक्ति राज्य से प्रतिकर पाने के हकदार है।

ऐसी घटनायें पहले भी कई बार हो चुकी है। गुजरात के नडियाद एवं बिहार के भागलपुर की घटना अभी भी हम भूले नहीं है नडियाद की पुलिस द्वारा यहां के मख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथों में ही हथकड़ी डाल दी गई तथा उनके साथ अमानवीय एवं क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस घटना की भर्त्सना की गई थ दोषी पुलिस अधिकारीयों को दण्डित भी किया गया ।

नीलवती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिविर्धरित किया है कि– ''पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में नर्क मूल अधिकारों का उल्लघंन होता है तो राज्य को ऐसे नागरिक को प्रतिकर देना होगा।

मामले में गिरफ्तार कि गये एक 22 वर्षीय युवक की पुलिस यातना के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी लाश हथकड़ी सहित रेलवे लाइन के पास पड़ी मिली थी। यह सही है कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्का भी अधिकार है और उसे हथकड़ी लगाने का भी। लेकिन प्रेमशंकर बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में यह कहा गया कि किसी भी कैदी को 24 घंटे हथकड़ी में रखना न्यायोचित नहीं है। हथकड़ी का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिये जब बंदी व्यक्ति के भागने का स्पष्ट खतरा हो। इसी प्रकार किशोर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा कि ''किसी कैदी को तुच्छ आधारों पर 89 से 1) माह तक हथकड़ी के साथ एकान्तवास में रखना अमानवीय कृत्य है। यह मानव प्रतिष्ठा पर आघात है। मानव प्रतिष्ठा हमारे संविधान का एक बहुमूल्य आदर्श है जिसकी आशंकाओं के आधार पर बलि नहीं दी जा सकती।'' ऐसे और भी अनेक मामले हैं जिनमें पुलिस के अमानवीय व्यवहार को कोसा गया है।

श्रीमती सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यह सही है कि पुलिस को अन्वेषण करने तथा अन्वेषण के दौरान किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करने का अधिकार है लेकिन ऐसे अधिकार का प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों को अनदेखा कर नहीं किया जा सकता ।

जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट तथा डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामलो में इन सभी बातों का समर्थन किया गया है। पुलिस अपने शब्द कोष से शब्द ''यातना'' को निकाल दे क्योंकि ''यह मन पर लगने वाला एक ऐसा पीड़ा व घाव है जो छुआ जा सकता है लेकिन भरा नहीं जा सकता।''

अब तो पुलिस पर केवल मानव पीड़ा को दूर करने का ही दायित्व नहीं है, अपितु पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने का दायित्व भी है। के. गुनियास्वामी बनाम पुलिस उप अधीक्षक के मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है के जहां छकड़ा गाड़ी की दौड़ में पशुओं को बेतों से मारा जा रहा हो, वहां पुलिस अधिकारी को ऐसी दौड़ को रूकवा देना चाहिये।

निष्कर्ष : पुलिस कानून और व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता मुख्य रूप से कानून लागू करने वाले अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस के उचित कामकाज पर निर्भर करती है। साथ ही, राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में, पुलिस के पास राज्य के हिस्से और पार्सल के रूप में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने का एक कठिन कार्य है। पुलिस द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष रूप से जनता के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जिसमें आरोपी और पीड़ित शामिल हैं, के अधिकार हैं और उन्हें अपनी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करते हुए बिना किसी विचलन के अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा ठीक से देखा गया है, पुलिस को अपने मानवाधिकारों के बारे में राज्य के दायित्वों और प्रतिबद्धताओं से नियमित रूप से लैस होने की आवश्यकता है। मानवाधिकार मानकों को पुलिस की नियमावली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और पुलिस कांस्टेबल के स्तर से शुरू होकर हर स्तर पर पुलिस को उचित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च अधिकारियों, राजनीतिक आकाओं और अन्य प्रकार की भ्रष्ट और धूर्त प्रथाओं के अत्यधिक हस्तक्षेप को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

- ओपेनहेमः इंटरनेशनल लॉ, (जेनिंग्स एंड वाट्स) 9वां संस्करण, (इंडियन रीप्रिंट) 2003 वॉल्यूम 1, बालकृष्णन राजगोपालः इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम बॉटम, कैम्ब्रिज 2003;
- गॉर्डन कलाजदज़ीवः पुलिस और मानवाधिकारः पुलिस प्रशिक्षण के लिए एक मैनुअल; मानव अधिकार के डेनिश संस्थान; 2002, 18
- पीयूसीएल बनाम पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, 1989, 4 एससीसी, 730
- भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, 1 985, 4 एससीसी 677
- नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, 1993 2 एससीसी 746
- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 1 एससीसी 416
- ए.के. रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1982 एससी 710
- सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1978 एससी 1675
- हुसैनारा बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, एआईआर 1979 एससी 1369
- वादी'वरन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एआईआर 1983 एसी 361
- जोन्दिर कुमार बनाम स्टेट, एआईआर 1994 एससी 1880
- एनएचआरसी : वर्ष 1993–2007 से भारत में पुलिस ज्यादतियों की स्थिति
- रिपोर्ट माजा दारूवालाः मानवाधिकार और पुलिसः मील का पत्थर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और एनएचआरसी दिशानिर्देश 2005 राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल